NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

No : NCRES/42/21 Date : 14.9.2021

श्रीमान डा0 एम. राघवैय्या जी
महामंत्री–एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषय :– नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में गार्ड/ड्राइवर को लाइन बाक्स की जगह ट्राली बैग देने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– दिनांक 11.9.2021 को Whats App मैसेज भेजकर लाइन बाक्स पर मांगी गई रिपोर्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कोविड–19 के समय रनिंग स्टाफ का लाइन बाक्स बंद कर दिया गया था जिसको NCRES ने PCOM से वार्ता कर पुनः चालू करा दिया गया था। वर्तमान में भी ड्राईवर/गार्ड लाइन बाक्स ले कर जा रहे है परन्तु इसके साथ यह भी कहना अति महत्वपूर्ण है कि रेल मंत्रालय की लाइन बाक्स को खत्म कर के ट्राली बैग दिये जाने की आशंका से रनिंग कर्मचारी बेहद आक्रोशित एवं इसके खिलाफ प्रदर्शन/आन्दोलन के लिये तत्पर है।

रनिंग स्टाफ निम्न कारणो से लाइन बाक्स के बिना कार्य करने को तैयार नही है –

(1) रनिंग स्टाफ के बक्से में 10 डेटोनेटर (पटाखे) और 80 ग्राम विस्फोटक रखे जाते है जिन्हें वह प्लेटफार्म पर रेलवे की सुरक्षा में छोड़ कर रनिंग रूम जाता है और निश्चिन्त हो कर वहाँ आराम करता है, परन्तु ट्राली बैग लेने पर उसमें डेटोनेटर रखने से उसकी व्यक्तिगत एवं अन्य समान की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी, ऐसे में वह मानसिक रूप से स्वतन्त्र होकर विश्राम भी नही कर पायेगा।

(2) गार्ड के पास पहले से ही दो बैग होते है, एक बैग में वो अपना राशन, सेनिटाइजर इत्यादि और दूसरे मे अपने कपड़े, 5 लीटर पानी ,दैनिक उपयोग में आने वाले सामान आदि रखता है। इन दोनो बैग का वजन ही लगभग 15 KG हो जाता है, जिसे गार्ड यार्ड से लगभग 1–2 KM दूर अपने रेस्ट हाउस तक उठा कर ले जाता है।

(3) यह भी बताना है कि गार्ड के पास लगभग 15 KG समान पहले से होता है और लाइन बाक्स का भी समान जिसका वजन लगभग 10 KG होता है इस प्रकार कुल 15 + 10 = 25 KG वजन उठा कर रनिंग रूम तक ले जाने में गार्ड की कार्य क्षमता पर भी असर पड़ेगा और वो जल्दी थक जाएगा तथा अत्यधिक ड्यूटी करने के कारण उसके स्वास्थ पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

(4) लाइन बॉक्स में गार्ड के वर्किंग टाइम टेबल, टेल लैम्प, टेल बोर्ड, हैड लैम्प, प्रैशर गेज, रफ जर्नल, सिग्नल बुक, रूल बुक, दो पटाखे, 2 लाल एक हरी झंडी, 5 लीटर पानी, उपरोक्त के अतिरिक्त मेल ट्रेन में चिकित्सा बॉक्स, लकड़ी के दो फट्टी चिकित्सा के लिये, 2 ताला, 1 टार्च, गार्ड सर्टीफिकेट आदि समान रहता है इन सब का वजन 15 KG से अधिक होता है। इतना वजन ले कर जाना पड़ेगा।

(5) मालगाड़ी में बैठने के लिए कुर्सी नही होती है तो गार्ड इस पर ही बैठे हुए रेल का संचालन करता है।

(6) मेल एक्सप्रेस में एक तरफ ही टेबल होती है एवं किसी–किसी गाड़ी में प्रायः टेबल नही होती है तो गार्ड अपने बॉक्स को ही टेबल के रूप में इस्तेमाल करता है।

(7) बारिश में रेनकोट और ठंडी में कुछ गर्म कपड़े अपने बैग में और बॉक्स में रखना जरूरी होता है।

(8) मालगाड़ी में तो शौचालय के लिए पानी भी नही होता है ऐसे में 5 लीटर पानी रखना ही पड़ता है। कार्य के दौरान भी पानी की व्यवस्था अलग से नही हो पाती है, उसी पानी के सहारे लंच/डिनर भी करना पड़ता है।

(9) जब भी गाड़ी में ACP या कोई अप्राकृतिक घटना होती है तो ऐसे में गार्ड अपना सामान बॉक्स में बंद कर के घटना स्थल पर जाता है, नही तो समान के चोरी होने की संभावना होती है।

(10) यार्ड में चलने के लिये कोई रास्ता नही होता, ऐसे में ट्रॉली बैग को उठा कर ले जाना संभव नही होगा क्यो कि गार्ड के पास पहले से ही उसका खुद का भी समान 2 बैग में होता है।

(11) 20-25 Kg का सामान अगर किसी भी ट्रॉली बैग में भर दिया जाए और आने–जाने का समुचित रास्ता न हो तो इतना सामान लेकर गार्ड गाड़ी को आगे से पीछे तक कैसे चेक करेगा। यदि इतना सामान कही रखकर गाड़ी चेक करता है तो उसमें से वाकी टॉकी, टॉर्च, चार्जर, गार्ड सर्टिफिकेट, पानी का बोतल, कपड़े जैसे समान चोरी होने का भी भय रहता है।

(12) बरसात के मौसम में लाइन बाक्स में तो सामान सुरक्षित रह सकता है किन्तु ट्राली बैग में सुरक्षित नही रह पायेगा।

(13) ट्राली बैग समेत अलग से 2–2 बैग टांगकर कुली की तरह चलना, रेलवे में गार्ड की इमेज खराब करना जैसा है जिससे रेलवे की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री